मै0 भुवन चन्द्र जोशी, ग्राम– बैजना तहसील काण्डा, जिला– बागेश्वर, उत्तराखण्ड के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 12.02.2020 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 भुवन चन्द्र जोशी द्वारा ग्राम– **बजीना** तहसील काण्डा, जिला– बागेश्वर, उत्तराखण्ड में 8.843 है0 क्षेत्र में 22777 टन प्रतिवर्ष सोप स्टोन खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन के अनुक्रम में दिनांक **12.02.2020** को प्रातः 11:00 बजे से ग्राम **बजीना** तहसील काण्डा, जिला बागेश्वर में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन 2006 यथासंशोधित के अनुसार इस प्रकार के उद्योग पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अपेक्षा रखने वाले उद्योगो की श्रेणी में आच्छादित हैं। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन के क्रम में लोक सुनवाई आयोजित किये जाने का प्रस्ताव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में प्राप्त हुआ था। उक्त लोक सुनवाई आयोजित किये जाने हेतु पूर्व में दिनांक 30.08.2019 निर्धारित की गई थी, उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये, परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश अभिलेख जनसामान्य के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, अधिशासी अधिकारी न0पा0प0 बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। किन्तु उत्तराखण्ड पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण उक्त तिथि को लोक सुनवाई का आयोजन नही किया जा सका। इसी अनुक्रम में राज्य बोर्ड द्वारा पुनः जनसुनवाई की सूचंना दैनिक समाचार पत्रों दैनिक जागरण तथा द हिन्दू में दिनांक–08.01.2020 के अंकों में प्रकाशित करायी गयी थी। इसी अनुक्रम में दिनांक–12.02.2020 को अपर जिलाधिकारी बागेश्वर की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी के **सहायक पर्यावरण अभियन्ता, श्री नरेश गोस्वामी** द्वारा सुनवाई में आये हुए महानुभावों तथा लोक सुनवाई **के पैनल के नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी बागेश्वर, श्री राहुल कुमार गोयल** का स्वागत किया गया। इसी क्रम में **उपजिलाधिकारी, काण्डा, श्री योगेन्द्र सिंह** का भी लोक सुनवाई में स्वागत किया गया।

इसी क्रम में **अपर जिलाधिकारी बागेश्वर** द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित जन सामान्य का स्वागत करते हुए जनसामान्य से अनुरोध किया गया कि परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् वे परियोजना के सम्बन्ध में अपनी आपत्तियॉं सुझाव, टीका टिप्पणी आदि मौखिक अथवा लिखित रूप से दें तॉकि उनको सुनवाई के कार्यवृत्त में शामिल किया जा सकें एवं उनकी आपत्ति/सुझाव को सक्षम स्तर तक पहुॅंचाया जा सकें।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त निम्न व्यक्तियों द्वारा अपने सुझाव एवं विचार रखे गयेः–

1. श्री शंकर जोशी, ग्राम बजीना, तहसील काण्डा, जिला बागेश्वर।

उनके द्वारा सभी लोगों का स्वागत करते हुए पूछा गया कि सी0एस0आर0 के अन्तर्गत लगाये जाने वाले स्वास्थ्य शिविर क्या इसी ग्राम पंचायत में लगाये जायेगें अथवा कहीं भी लगाये जा सकते हैं। तथा क्या हमें इन शिविरों हेतु कहीं अपील करनी पड़ेगी।

इस पर पर्यावरणीय सलाहकार **श्री समीर कुमार सिंह** द्वारा अवगत कराया गया कि मात्र ग्राम बजीना में ही नहीं बल्कि व्यापक प्रचार–प्रसार तथा ग्रामीणों की सहमति से आस–पास के ग्रामों में भी लगाये जा सकते हैं। इस हेतु ग्रामीणों को पृथक से कोई अपील नहीं करनी है। शिविर न लगाये जाने की दशा में सक्षम स्तरों को शिकायतें की जा सकती है।

क्रमशः–2

इसी क्रम में **अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर** द्वारा कहा गया कि शिविर लगाते समय यह ध्यान रखा जाय कि उन्हीं विषय विशेषज्ञों को बुलाया जाय, जो आस–पास के क्षेत्र में उपलब्ध न हो, तभी इसका व्यापक लाभ ग्रामीणों को प्राप्त हो सकेगा।

2. श्री नित्यानन्द काण्डपाल, ग्राम बजीना, तहसील काण्डा, जिला बागेश्वर।

उनके द्वारा कहा गया कि जिनकी जमीनें प्रस्तावित माईन में कट रही हैं उनके बारे में नहीं बताया गया है। उनके द्वारा कहा गया कि माईनिंग, वहॉ प्रस्तावित की गयी है जहॉ सिंचाई वाली भूमि है और यह भूमि माईनिंग में चली जायेगी। उनके द्वारा कहा गया कि ऐसी स्थिति में कृषि कार्य कैसे हो सकेगें।

इस पर पर्यावरणीय सलाहकार **श्री समीर कुमार सिंह** द्वारा अवगत कराया गया कि बिना भू–स्वामी की सहमति से किसी के भी खेत में माईनिंग नहीं की जायेगी। मुआवजा आदि के निर्धारण के पश्चात ही या अन्य कोई समाधान प्राप्त होने के पश्चात ही खेत स्वामी की अनुमति पर खनन कार्य किया जायेगा।

3. श्री विनोद काण्डपाल, ग्राम बजीना, तहसील काण्डा, जिला बागेश्वर।

उनके द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित माईन क्षेत्र, मकानों के नीचे स्थित है, जहॉ खदान किये जाने के पश्चात बजीना गॉव के मकानों पर प्रभाव पड़ सकता है।

इस पर उपस्थित पट्टाधारक श्री भुवन चन्द्र जोशी द्वारा अपने प्रतिनिधि **श्री दीपक बेलवाल के** माध्यम से कहा गया कि हमें लगभग 48 लोगों की सहमति प्राप्त है। एवं डीड रजिस्ट्रेशन आदि की प्रक्रिया शेष है। ऐसी स्थिति में वास्तविक माईनिंग से पूर्व भी ग्रामीणों से मिलकर, आपसी समाधान के पश्चात ही खनन कार्य किया जायेगा। यदि फिर भी कोई समाधान नहीं होगा या जहॉ मकानों को क्षति होगी उस क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा, एवं फिर भी किसी भी क्षति की स्थिति में मुआवजा दिया जायेगा।

4. श्री भैरव दत्त चन्दोला, ग्राम दैलमैल, तहसील काण्डा, जिला बागेश्वर।

उनके द्वारा आगन्तुकों का स्वागत करते हुए कहा गया कि समस्यऐं बहुत होती हैं किन्तु समाधान कम। उनके द्वारा कहा गया कि कहे गये कार्यों का वास्तविक मुल्यांकन तो खदान संचालन के पश्चात ही हो सकेगा। उनके द्वारा कहा गया कि आपसी ताल–मेल के बाद ही खनन कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। कोई भी माईन संचालक अपने वित्तीय नुकसान के साथ खनन कार्य नहीं कर सकता है। इनके द्वारा आशा व्यक्त की गयी कि खनन संचालक आपसी सहमति से ही खनन कार्य करेगें।

5. श्रीमती सावित्री देवी, ग्राम बजीना, तहसील काण्डा, जिला बागेश्वर।

उनके द्वारा कहा गया कि हमारे घरों में लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं उन्हें रोजगार तथा उचित मुआवजा मिलना चाहिए।

इस पर पट्टाधारक के प्रतिनिधि **श्री दीपक बेलवाल** द्वारा कहा गया कि उनका पिछले 04–05 वर्षों का अनुभव रहा है कि बेरोजगारी क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, एवं वह स्वयं बेरोजगार हैं, एवं गॉव से जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा कहा गया कि खनन ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार का माध्यम है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपसी सहमति से ही खनन कार्य संचालित किया जायेगा। उनके द्वारा कहा गया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्यं में नियमों के विरुद्ध खनन परियोजनाओं का संचालन किया जाना अब संभव नहीं है।

इसी क्रम में **पूर्व वक्ता श्री भैरव दत्त चन्दोला** द्वारा कहा गया कि यदि संभव हो तो उसी क्षेत्र में पल्वराईजर प्लांट लगाया जाना चाहिए।

इस पर पट्टाधारक के प्रतिनिधि श्री **दीपक बेलवाल** द्वारा कहा गया कि व्यापारिक समझ एवं लाभ को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार के पल्वराईजर प्लांट लगाये जा सकते हैं।

इस पर **अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर** द्वारा कहा गया कि लगभग 05 सोपस्टोन प्रासोसिंग यूनिट के आवेदन जिला उद्योग केन्द्र को प्राप्त हुए हैं, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

6. श्री भुवन चन्द्र काण्डपाल, ग्राम बजीना, तहसील काण्डा, जिला बागेश्वर।

श्री काण्डपाल द्वारा मॉग की गयी कि भविष्य में लिखित रूप से क्रमवार शर्तो का समावेश करते हुए लिखित अनुबन्ध किया जाना चाहिए।

जिस पर पट्टाधारक प्रतिनिधि श्री बेलवाल द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है।

7. श्री हरीश चन्द्र काण्डपाल, पूर्व प्रधान, ग्राम बजीना, तहसील काण्डा, जिला बागेश्वर।

उनके द्वारा कहा गया कि बिना खेत स्वामी की सहमति से खनन कार्य नहीं किया जा सकता, एवं पट्टाधारक को भी इस हेतु क्षेत्र में आना पड़ेगा। उनके द्वारा मॉग की गयी कि काश्तकार से लिखित अनुबन्ध कर लिया जाय एवं भविष्य में मकानों को आने वाले सम्भावित क्षति पर तालमेल बनाकर कार्य किया जाय। उनके द्वारा कहा गया कि क्षेत्र में लगभग 350 काश्तकार हैं, उन्हें एक साथ रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। इसी क्रम में उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि जिस किसी भी भू–स्वामी के खेत में खदान कार्य हो उस अन्तराल में उसे रोजगार प्रदान किया जाय तथा इसके अतिरिक्त योग्यतानुसार रोजगार उपलब्ध कराये जा सकते हैं।

इसके पश्चात **उपजिलाधिकारी, काण्डा, श्री योगेन्द्र सिंह** द्वारा उपस्थित जनसुनवाई का स्वागत करते हुए कहा गया कि माईन संचालन के पश्चात पट्टाधारक तथा भू–स्वामी को आने वाली कतिपय समस्याओं के निराकरण हेतु स्थानीय प्रशासन के पास लोग पहुँचते हैं। उनके द्वारा कहा गया कि बिना भू–स्वामी की अनुमति से खनन कार्य नहीं किया जा सकता उनके द्वारा पट्टाधारक से अपेक्षा की गयी कि माईनिंग, नियमानुसार एवं वैज्ञानिक ढंग से हो। इस सम्बन्ध में भू–स्वामियों से समय–समय पर चर्चा हो। माईन का संचालन इस प्रकार किया जाये कि निकटवर्ती भवनों पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, एवं पलायन रोकने के उद्देश्य से प्रस्तावित की गयी माईनिंग का उद्देश्य ही पूरा न हो। उनके द्वारा कहा गया कि लिखित अनुबन्ध तथा आपसी सहमति से ही माईन का संचालन किया जाय तथा अनुबन्ध की एक प्रति तहसील प्रशासन को भी उपलब्ध करायी जाय एवं कहा गया कि सी0एस0आर0 कार्यों के निष्पादन से पूर्व स्थानीय तहसील को भी सूचना दी जाय ताकि तहसील प्रशासन द्वारा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जा सके। उनके द्वारा सभी भू–स्वामियों एवं पट्टाधारक को माईन के सफल संचालन हेतु शुभ कामनाये दी गयी।

इसके पश्चात **अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर** द्वारा आशा व्यक्त की गयी कि लोकसुनवाई में कही गयी बातों का पट्टाधारक, अक्षरशः पालन करेगें एवं क्षेत्र की जनता को कोई शिकायत का मौका नहीं देगें। उनके द्वारा कहा गया कि खनन, पूर्ण वैज्ञानिक ढंग से एवं नियमानुसार किया जाय। एक स्थान पर खनन पूर्ण हो जाने पर समतलीकरण के पश्चात आगे खनन किया जाय। उनके द्वारा कहा गया कि किसी भी मकान अथवा परिसम्पत्ति में प्राकृतिक आपदा के अतिरिक्त यदि माईनिंग से कोई क्षति पहुँचती है, तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं पट्टाधारक का होगा, जिसका निर्धारण भू–वैज्ञानिक द्वारा किया जायेगा। उनके द्वारा कहा गया कि खेतस्वामी तथा पट्टाधारक भी आपस में लिखित अनुबन्ध कर लें तॉकि भविष्य हेतु यह कानूनी आधार के रूप में उपयोग किया जा सकें। उनके द्वारा खनन स्वामियों से कहा गया कि

क्रमशः–4

वे माइनिंग, वैज्ञानिक ढंग से करें तथा माइनिंग के पश्चात् खेत समतलीकरण कर वास्तविक भू–स्वामी को सौंप दें। उनके द्वारा जिला खनिज न्यास फाउन्डेशन के सम्बन्ध में उपस्थित जनसमुदाय को जानकारी दी गयी। उनके द्वारा सी0एस0आर0 धनराशि को ग्रामीणों की प्राथमिकता निर्धारित कराते हुए व्यय किये जाने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि किसी भी सरकारी जमीन पर खनन न किया जाय एवं नदी, गधेरों आदि को प्रदूषण से बचाने के पूर्ण उपाय किये जाय।

इसके पश्चात् उनके द्वारा सभी क्षेत्रवासियों व पट्टाधारकों को शुभकामना देते हुए एवं अन्य कोई सुझाव टीका टिप्पणी आदि प्राप्त न होने पर लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जनसुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जनसमुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है। इसी क्रम में जनसुनवाई के दौरान श्री सूरज सिंह कार्की, ग्राम प्रधान, बिलाड़ी द्वारा एक प्रत्यावेदन प्राप्त कराया गया। प्रत्यावेदन संलग्न किया जा रहा है।

(नरेश गोस्वामी)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उ0प0सं0 एवं प्र0नि0बोर्ड हल्द्वानी

(आर0के0 गोयल)
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर

अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर

PAGE NO. :

DATE : / /

मै० बैजना सोप स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट, श्री भुवन चन्द्र जोशी, ग्राम- बैजना कांडा, बागेश्वर के पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्बन्ध में आयोजित लोकसुनवाई की उपस्थिति।

सुनवाई स्थल :-

तिथि :- 12/02/2020

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	राहुल कुमार गोयल	अपर जिलाधिकारी कार्यालय	[signature]
2	महेश गोस्वामी	[illegible] प्रति० बोर्ड, हल्द्वानी	[signature]
3	योगेन्द्र सिंह	SDM कांडा	[signature]
4	बालम सिंह बिष्ट	वरिष्ठ खान अधिकारी कार्यालय	[signature]
5	संजय कुमार	रा०इ०का० बैजना	[signature]
6	पूरन वर्मा	रा०इ०का० [illegible]	[signature]
7	[illegible] चन्द्र	रा०इ०का० बैजना	[signature]
8	Sameer Kr. Singh	OMTC 101 APEX TOWER JP	[signature]
9	दीपक बेलवाल मास प्रतिनिधि	- बजीना आवास ग्राम हल्द्वानी	[signature]
10	Laxmi Singh	OMTC	Laxmi Singh
11	भुवन चन्द्र जोशी	बजीना	[signature]
12	कैलाश चन्द्र भट्ट	बरवेत	Kailash
13	महेश [illegible]	बजीना	[signature]
14	हरीश	—	[signature]
15	राजेन्द्र सिंह	कांडा	[signature]
16	[illegible]	बजीना	[signature]
17	राजेश चन्दोला	देवलमेल	R handola
18	[illegible]	बजीना	[signature]
19	[illegible]	बजीना	[signature]
20	हरीश चन्द्र [illegible]	बजीना	[signature]
21	गौरव चन्द्र कापड़ी	बजीना	[signature]

PAGE NO.:

DATE: / /

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
22	प्रवीण कुमार मिश्रा	बजीना	[illegible]
23	गिरीश चन्द्र	डेयरी प्लेस	[illegible]
24	उमेशचन्द्र काण्डपाल	बजीना	Kandpal
25	Prakash Chandra	Bajeena	[illegible]
26	BCS NT Kandpal		[illegible]
27	Shankar Chandra Joshi	बजीना व	जोशी
28	Mohan chandra Kandpal	बिजौरी बजीना	[illegible]
29	गोविन्द	[illegible]	गोविन्द
30	Kailash Chandra Pathak	Kanda	[illegible]
31	Smt Savitri Kandpal	Bajeena	[illegible]
32	Smt Mamta Kandpal	Bajeena	[illegible]
33	Smt Pushpa Kandpal	"	[illegible]
34	राजेन्द्र सिंह	बजीना	[illegible]
35	हरीश जोशी	बजीना	[illegible]
36	मंगल चन्द्र जोशी	[illegible]	[illegible]
37	हरीश डोभाल	[illegible]	[illegible]
38	महेन्द्र सिंह	P.C.B	[illegible]
39	कौमी साह	बजीना	[illegible]
40	सुनील साह	"	[illegible]
41	योगेश कुमार	"	[illegible]
42	विरेन्द्र साह	"	[illegible]
43	सुरेश काण्डपाल	"	[illegible]
44	Vinod Kandpal	"	[illegible]
45	मुन्नी काण्डपाल	"	मुन्नी
46	बसन्तराम P.R.D ह. कान्स.	तहसील कपकोट	[illegible]
47	गिरीश सिंह	"	[illegible]
48	Bhagwan Singh	Bajeena	[illegible]
49	Kuldeep chandra	Bageshwar	[illegible]
50	Ram Singh	OMTC	[illegible]
51			